



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP00990154404412V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00990154404412V

Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 03:54 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14287204/ GHAZIPUR SADAR/ UP-GZP

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1428720497558000531174V

Purchased by : MAHESHA FOUNDATION F 1212 RAJAJIPURAM LUCKNOW

Description of Document : Article 4 Affidavit

Property Description : AFFIDAVIT

Consideration Price (Rs.) :

First Party : MAHESHA FOUNDATION F 1212 RAJAJIPURAM LUCKNOW

Second Party : SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISHAD U P LUCKNOW

Stamp Duty Paid By : MAHESHA FOUNDATION F 1212 RAJAJIPURAM LUCKNOW

Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)

16645
 NO. 19/2023
 Jats



ACC Name- IKS LAL RAM
 ACC Code-UP14287204
 ACC No. 11-11-2023
 Ghazipur Sadar, Ghazipur (U.P.)
 Regd. No. 29/2016/66
 Exp. Date 11-11-2023



12

NOTARY
 Ghazipur Sadar

Statutory Alert:
 Authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.ekamta.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Exchanges.
 Any discrepancy please inform the Competent Authority.

(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप:-

हम सुषमा तिवारी एवं पुनीत कुमार तिवारी क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव, महेशा फाउण्डेशन एफ-1212, राजाजीपुरम लखनऊ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सुषमा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज पता गंगरीली, बेलसर गोण्डा (उ०प्र०) नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सुषमा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज, गंगरीली, बेलसर गोण्डा (उ०प्र०) में गाटा संख्या 1807 एवं 1.0760 हे० भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1807 एवं 1.0760 रकबा पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ता सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 25.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी प्रकार के स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि किसी अनजानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा विधानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा

NOTARY
Puneet Tiwari
80 सचिव
GHAZIPOUR (U.P.)

सुषमा तिवारी
80 अध्यक्ष

il